सर्वोच्च प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्या-2/2017/87/43-2-2017-15/2(3)07टी0सी0-3

प्रेषक,

एस0 एन0 शुक्ल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक ,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2017

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-60/43-2-2017-15/2(3)07 टी0सी0-3 दिनांक15 फरवरी, 2017 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासन के उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु कृपया अपने विभाग से संबंधित लम्बित वसूली का विवरण निर्धारित प्रपत्र में जनपदवार / वर्षवार संकलित कर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ को सीधे उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति शासन के इस विभाग को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

भवदीय,

एस0 एन0 शुक्ल
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया प्रदेश के समस्त विभागों से उपरोक्तानुसार सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या– 60 /43–2–2017–15/2(3)/07टीसी–3

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनॉक 15 फरवरी, 2017

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के पत्र संख्या–800/43–2–2015–15/2(3)/07 टी0सी0–3, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग को, ऐसे जन सूचना अधिकारी के विरूद्व, जिनके द्वारा किसी आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, अथवा जानबूझकर गलत, अधूरी अथवा भ्रमात्मक सूचना उपलब्ध करायी है, अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का अधिकार दिया गया है। इस अर्थदण्ड की अधिकतम् सीमा रू0 25,000/– है।

3– राज्य सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर अधिनियम की धारा 20 के तहत औचित्य पाये जाने पर विभिन्न जन सूचना अधिकारीगण के विरूद्व अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, किन्तु यह अनुभव किया गया है कि उक्त अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नहीं की जा रही है।

4– आप सहमत होंगे कि यदि अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिरोपित अर्थदण्ड की समयबद्व वसूली नहीं की जाती है तो जन सूचना अधिकारीगण से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन गम्भीरतापूर्वक कराया जा पाना सम्भव न होगा तथा अधिनियम के उद्वेश्यों की प्राप्ति नहीं हो पायेगी।

5— आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिरोपित अर्थदण्ड की समयबद्ध वसूली के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 15(4) में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:—

'15(4) आयोग द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी से शास्ति की धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक व्यवस्थायें की जायेंगी।'

6— उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा विभिन्न जन सूचना अधिकारीगण पर अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या—882/43—2—2008—15/2(3)/07 टीसी—III, दिनांक 07 जुलाई, 2008 को विखण्डित करते हुए निम्नवत् व्यवस्था स्थापित की जाती है:—

(1) उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा किसी शिकायत/अपील का विनिश्चय करते हुए यदि किसी जन सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो आयोग के रजिस्ट्रार द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपण आदेश को संलग्न परिशिष्ट—1 पर दिये गये प्रारूप पर जन सूचना अधिकारी के नियंत्रक प्राधिकारी को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि वह संबंधित जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की वसूली सुनिश्चित करें और अर्थदण्ड की धनराशि को नियत दिनांक तक निम्न लेखा शीर्षक में जमा करायें :—

"0070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—60—अन्य सेवायें—800—अन्य प्राप्तियॉ—15—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियॉ "

(2) प्रत्येक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का यह दायित्व होगा कि वह अपने विभाग के किसी जन सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की दशा में उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की धनराशि वसूली करायें। इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष का यह दायित्व है कि वह संबंधित विभाग के किसी जन सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की दशा में उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की वसूली करायें। इसी प्रकार प्रत्येक मण्डलायुक्त एवं प्रत्येक जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने मण्डल अथवा अपने जनपद में नियुक्त किसी जन सूचना अधिकारी पर यदि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो वह अर्थदण्ड की वसूली उक्त जनसूचना अधिकारी के वेतन से कराये। अर्थदण्ड वसूली के उपरान्त संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या आयोग के रजिस्ट्रार को अविलम्ब प्रेषित की जायेगी।

(3) आयोग के रजिस्ट्रार द्वारा संलग्न परिशिष्ट—2 पर दिये गये प्रारूप पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक, पिछले माह की अंतिम तिथि पर लम्बित ऐसे समस्त प्रकरणों की सूची तैयार की जायेगी, जिनमें आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी है तथा यह सूची प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली का अनुश्रवण करने हेतु निम्नवत् उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की जाती है :–

1– मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य सचिव
3– सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य
4– रजिस्ट्रार, उ0प्र0सूचना आयोग	सदस्य

(5) प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रत्येक तीन माह पर उक्त अनुश्रवण समिति की बैठक मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोजित करायी जायेगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली की समीक्षा की जायेगी तथा प्रत्येक लम्बित मामले में शीघ्रातिशीघ्र वसूली करने हेतु यथोचित निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

7– यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 के तहत विभिन्न जन सूचना अधिकारीगण पर अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली एक महत्वपूर्ण कार्य है तथा सभी संबंधित से यह अपेक्षा की जाती है कि इस कार्य को पूरी गम्भीरता एवं तत्परता से पूर्ण किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–1

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

शिकायत/अपील पंजीकरण संख्या..

श्री/श्रीमती...शिकायतकर्ता/अपीलार्थी

बनाम

श्री/श्रीमती...विपक्षी

प्रेषक,

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग
....
....
लखनऊ।

सेवा में,

....
....
(उस अधिकारी का नाम, पदनाम और पता जिसके द्वारा अधिरोपित की गयी शास्ति वसूल की जायेगी)

चूँकि श्री/श्रीमती ....,
(पता) निवासी...
द्वारा शिकायत/दूसरी अपील प्रस्तुत की गयी थी और उसे इस आयोग में उपरोक्तानुसार पंजीकृत किया गया था;

और चूँकि उपर्युक्त शिकायत/अपील का विनिश्चय
श्री..
की पीठ द्वारा किया जा चुका है जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति के अधिरोपण के लिए निम्न आदेश पारित किया गया है :

(क) उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो), पदनाम और पता जिस पर शास्ति अधिरोपित की गयी

....

....

....

(ख) अधिरोपित शास्ति की धनराशि,निर्धारित किस्तो सहित,यदि कोई हो ....

....

उपर्युक्त आदेश की प्रति संलग्न है।

अतएव अब, आपसे अनुरोध है कि आप उपर्युक्त आदेश का अनुपालन करते हुए सम्बंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से उपर्युक्त शास्ति की धनराशि की कटौती करना सुनिश्चित करें और इस प्रकार वसूल की गई धनराशि को निम्नलिखित लेखा शीर्ष में जमा करें :

> ''0070– अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60–अन्य सेवायें, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 15–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियॉ''

आप से अग्रतर अनुरोध है कि आप आयोग के उपर्युक्त आदेश की अनुपालन आख्या इस पत्र के दिनांक के तीन माह के भीतर प्रेषित करें।

दिनांक...............

रजिस्ट्रार
उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग

परिशिष्ट–2

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अधीन अधिरोपित ऐसी शास्तियों का विवरण, जिनकी वसूली नहीं हुई है

माह ——————

वर्ष ——————

क्रम संख्या	शिकायत/अपील की पंजीकरण संख्या	शास्ति आदेश पारित करने वाली पीठ का नाम	आदेश का दिनांक	अधिरोपित की गयी शास्ति की धनराशि, किस्तों, यदि कोई हो, के विवरण सहित	शिकायतकर्ता/अपीलार्थी का नाम और पता	उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो), पदनाम और पता, जिस पर शास्ति अधिरोपित की गयी	नियंत्रक प्राधिकारी का पदनाम व पता जिसको शास्ति वसूली हेतु आयोग के रजिस्ट्रार द्वारा पत्र भेजा गया	नियन्त्रक प्राधिकारी को रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गये मूल पत्र व अनुस्मारकों की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9